इनाउद्दीन आदि — खिलाफ जाकिर प्र. नं. 07/18

दिनांक	आज्ञा पत्र	
15.5.24	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 22.5.24 को पेश हो।	
22.5.24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19.6.24 को पेश हो।	Noted for Argument
19.6.24	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 5.7.24 को पेश हो।	
5.7.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19.7.24 को पेश हो।	
19.7.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 07/2018

1 इमामुदीन उम्र 63 साल

2 छोटू हुसैन उम्र 58 साल

3 इस्लामुदीन उम्र 53 साल

4 बाबू उम्र 48 पुत्रगण स्व. मोहम्मद हुसैन समस्त जाति मुसलमान धोबी निवासीगण मोहल्ला धोबियान वार्ड नम्बर 7 सोमनाथ त्रिहन की गली सीकर जिला सीकर।

5 मोहम्मद रफीक उम्र 38 साल पुत्र स्व. मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान निवासी जयपुर–झुन्झुनू बाईपास, हलीमा मस्जिद के पास सीकर तहसील व जिला सीकर।

6 मोहियुदीन उम्र 43 साल पुत्र श्री मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान धोबी निवासीगण मोहल्ला धोबियान वार्ड नम्बर 7 सोमनाथ त्रिहन की गली सीकर तहसील व जिला सीकर।

7 लियाकत अली उम्र 49 साल पुत्र स्व. जुमरदीन जाति मुसलमान धोबी निवासी अली मस्जिद के पास पिपराली रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर जरिये मुख्तयार खास मकसूद अली उम्र 35 साल पुत्र स्व. जुमरदीन जाति मुसलमान धोबी निवासी अली मस्जिद के पास पिपराली रोड सीकर तहसील व जिला सीकर।

8 मकसूद अली उम्र 35 साल पुत्र स्व जुमरदीन जाति मुसलमान धोबी निवासी अली मस्जिद के पास पिपराली रोड सीकर तहसील व जिला सीकर।

9 यासीन उम्र 70 वर्ष पुत्र रहीम बक्स जाति बहलीम धोबी निवासी पिपराली रोड चौराहा के पास बहलीम वाटर टैंक सप्लायर्स के सामने वाला रास्ता सीकर जिला सीकर।

10 शकीला उम्र 35 साल पत्नी रफीक बहलीम जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 7 सोमनाथ त्रिहन की गली मोहल्ला धोबियान सीकर तहसील व जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

11 जरीना उम्र 42 वर्ष पत्नी मोहम्मद रफीक खत्री जाति मुसलमान निवासी भाटी मेन्सन के पीछे, पुरानी जेल रोड मोहल्ला धोबियान सीकर तहसील व जिला सीकर।

12 जमीला उम्र 38 वर्ष पत्नी मईनुदीन जाति मुसलमान निवासी भाटी मेन्सन के पास मस्जिद के सामने मोहल्ला धोबियान सीकर तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सिराज (फौत)

1/1 फारूख उम्र 52 साल पुत्र सिराज

1/2 गफार उम्र 49 साल पुत्र सिराज

1/3 मन्जूर उम्र 47 वर्ष पुत्र सिराज

1/4 निशार उम्र 45 वर्ष पुत्र सिराज

1/5 इमरान उम्र 29 वर्ष पुत्र सिराज

1/6 सलमा बानो उम्र 27 वर्ष पुत्री सिराज

समस्त जाति बहलीम धोबी निवासी वार्ड नम्बर 7 सोमनाथ त्रिहन की गली, मोहल्ला धोबियान, सीकर तहसील व जिला सीकर।

2 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसील सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.08.2011
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन
अधिकारी श्री जे.पी. त्यागी आरएएस मुकदमा
संख्या 139/2011 अन्तर्गत धारा 212 राज.
काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेश जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 19.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा 139/2011 में पारित निर्णय दिनांक 17.08.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर 31 पुराने खसरा नम्बर 383 वाके ग्राम राधाकिशनपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र 212 स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि ग्राम राधाकिशनपुरा पटवार हल्का चैनपुरा तहसील व जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 31 रकबा 2.80 हैक्टेयर अवस्थित है। यह कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा संयुक्त खातेदारी की भूमि में किसी भी

सहखातेदार को बिना सुनवाई के अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना भी विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है क्योंकि संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा काश्त होने का कानूनी प्रावधान है। जिस कारण सहखातेदारान के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्याय संगत नहीं है। अपीलान्टस कृषि भूमि खसरा नम्बर 31 रकबा 2.80 हैक्टेयर वाके ग्राम राधाकिशनपुरा के रिकार्डेड काबिज सहखातेदार है। विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को बिना नोटिस जारी किये व सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित कर दिया। जिस कारण टी.आई के अप्रार्थीगण नातो अपनी प्रतिरक्षा कर सके नाही टी.आई. आवेदन का समुचित जवाब प्रस्तुत कर सके। जबकि सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है। टी.आई आवेदन के अप्रार्थी संख्या 1 मोहम्मद हुसैन का दिनांक 05.12.2013 को इन्तकाल हो गया व उक्त टी.आई. आवेदन के अप्रार्थी संख्या 3 जुमरदीन का भी दिनांक 13.12.2013 को इन्तकाल हो गया। उसके पश्चात मोहम्मद हुसैन की वारिस खातुन (पत्नी), हमीदा, छोटी उर्फ जमीला, जरीना, जमीला बानो (पुत्रियां) ने इमामुदीन, छोटू, इस्लामुदीन, बाबु, मोहियुदीन, रफीक के पक्ष में समोचन पत्र निष्पादित व पंजीकृत करवा दिया था व जुमरदीन के वारिस सईदन, राबिया बानो, साबिरा, रूकसाना, मुन्नी उर्फ अफसाना (पुत्रियां) ने लियाकत अली व मकसुद अली के पक्ष में समोचन–पत्र निष्पादित व पंजिकृत करवा लिया था जिस कारण अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 8 ही अपीलान्टस के रूप में पक्षकार है जिनको चुनौतीग्रस्त निर्णय की जानकारी होते ही अन्य अपीलान्टस के साथ ही अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत कर रहे है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पक्षकारों के मध्य मूलवाद विचाराधीन है। इसके अंतिम निर्णय से पूर्व पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने ताफैसला वाद विवादित भूमि के संदर्भ में रिकार्ड व मौके की यथास्थिति का आदेश दिये जाने में कोई विधिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं ... राजस्व अपील अधिकारी सीकर

त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में धारा 212 का आवेदन दिनांक 17.08.2011 को प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने उसी दिन अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये बिना, साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया बिना प्रथम आदेशिका में ही बिना किसी विवेचन के मूलवाद के अंतिम निस्तारण तक विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन जारी कर दिया है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में विधिक प्रकिया की पालना कर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2024 को उपस्थिति देवें।

पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 19.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर